THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LADLI MOHAN NIGAM): You can continue tomorrow. We shall now take up Calling Attention Motion.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The reported collapse of some Residential flats newly built by the Delhi Development Authority in Vikaspuri and other Areas in Delhi and the Action Taken by Government in the matter

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में विकासपुरी तथा अन्य क्षेत्रों में बनाये गये आवासीय फ्लैटों के ढह जाने के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की ओर संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Sir, on 20-8-1982 aportion of a building under construction in Mayur Vihar developed cracks and some portions gave way. To aviod danger to human life and workmen in and around this area and for the safety of the structure, half of the block was pulled down. Inquiry conducted into this revealed that it was mainly due to improper drainage around the buildings which resulted in development of cracks in the walls. The work of reconstructing the building had been undertaken by the contractor, who also accepted the responsibility for the failure. The work of reconstruction has since been completed.

On 7-11-1982, the RCC roof and floor of a portion of one unit out of 64 houses which were under construction in Greater Kailash-I, collapsed resulting in the death of one person and injuries to two. The officers of the DDA under whose supervision the work was carried out, were transferred and departmental action initiated. The question of penalising the contractor has also been taken up. The enquiry conducted into this incident revealed that the collapse occurred due to inadequate design and poor quality of mortar. The collapsed portion is being reconstructed after taking necessary strengthening measures.

A portion of a block (No. C-2) of a four-storeyed MIG house in Vikaspuri collapsed on 28-12-1982 while the work was in progress. Some further portion came down on 30-12-1982. There was no loss of life. Immediately after this mishap an Expert Committee was constituted to inquire into the causes. Simultaneously, samples of mortar and other materials were taken and it was found that the mortar did not contain adequate quantity of lime, nor was it properly mixed. On the basis of the preliminary findings and *prima facie* evidence, the Executive Engineer, the Assistant Engineer and the Junior Engineer incharge of the work, were placed under suspension pending results of the inquiry by the Expert Committee. The DDA has also set in motion the process of action to rescind the contract. The contractor has also been barred from taking further works.

On 29-12-1982, the outer wall of two Janata houses in Avantika near Mangolpuri collapsed due to erosion of wall foundation by a deep storm water drain under excavation. This took place due to accidental puncturing of the water main near the drain and accumulation of large quantity of water in the drain. The Junior Engineer and the Executive Engineer in this case were transferred for their failure of supervision.

On 16th January, 1983, the roof of a higher secondary school building on the first floor under construction in Paschim Vihar collapsed. In this mishap, one woman who was engaged by the contractor, fell along with the roof and died. A magisterial inquiry was ordered by the Lt. Governor into this incident. A First Inormation Report was also lodged by the Delhi Development Authority.

Sir, a fact finding Committee was also constituted by the Lt. Governor, Delhi, who is the Chairman, DDA, to review

the housing programmes of the Authority and advise on aspects of design, technical supervision, quality of materials, inspection procedures, empanelment of contractors and other related matters.

In addition, a task force was set up by the DDA under the charge of its Chief Engineer (Quality Control) to check all the housing schemes in progress. The task force has already inspected more than 20,000 houses and its recommendations are being followed up by the concerned field officers of the Delhi Development Authority.

The Quality Control Wing of the DDA was strengthened last year with the appointment of a Chief Engineer (Quality Control) who functions independently of the technical wing and reports directly to the Vice-Chairman—DDA. Inspection procedures have also been tightened so that senior officers like the Chief Engineer, Chief Project Engineer, Additional Chief Engineer and the Superintending Engineer intensify the routine and surprise inspections. At the same time, measures to tone up the administration have also been initiated and already 90 officers whose work had come in for adverse comments by the Chief Engineer (QC) during the course of his inspections, have been transferred.

Sir, while I do share the concern of the hon. Members and the public at the recent unfortunate incidents of collapse of houses constructed by DDA, I may point out that the DDA has been undertaking a massive housing programme and over the last decade it had taken up the construction of more than 1.5 lakh houses out of which more than 85,000 had been completed by March 1982. I am confident, Sir, that the recent measures initiated by the DDA such as the unit by unit inspection of houses under construction by the Task Force set up for the purpose will ensure the quality of the construction and, in turn, inspire public confidence.

श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपनी तरफ से काफी विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन हम लोगों की एक दिक्कत हो गयी है कि पिछले कई साल से जब से मैं यहां हूं, मैं देख रहा हूं कि डी डी ए का जो चलन है, जो उस का काम करने का तरीका है, उस पर सभी पक्षों की ओर से मांग की गयी है कि उस पर बाकायदा बहस हो, लेकिन हम लोगों को बहस करने का मौका इन दुर्घटनाओं के जरिए ही मिल पाता है, वह बहस हो नहीं पाती है ।

मैं प्रश्न पूछने से पहले कुछ ऐसी बातें जो कहनी जरूरी है वह निवेदन करना चाहूंगा और यह मांग सिर्फ हम लोगों की नहीं बल्कि जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है उस ने खुद कई बार इशारा किया है कि डी डी ए में, दिल्ली विकास प्राधिकरण में काफी अनियमितताएं हैं, घपला है, गड़बड़ है और उस ने भी कई बार यह सिफारिश की है कि एक उच्चाधिकार कमेटी जांच के लिए बने, लेकिन यह कुछ हो नहीं पाया ।

मान्यवर, डी डी ए एक नेक इरादे से शुरू की गयी संस्था थी । अच्छे टेलेंटेड अफसर बुलाये गये थे और काम शुरू हुआ लेकिन डी डी ए जो उस के उद्देश्य थे, उन को पाने में पूरी तरह नाकामयाब हुई है । जो दुर्घटनाएं है वह आइसोलेटिड चीज नहीं है । इस के कारण है । डी डी ए का जो काम करने का तरीका रहा है—डी डी ए को आप ने मोनोपोली दे दी और डी डी ए, मेरी जानकारी के अनुसार; मिनिस्टर के भी तहत नहीं रही, उस के आगे चली गयी है और डी डी ए का बड़ा भारी राजनीतिक उपयोग होता है और डी डी ए का

[श्री सत्यपाल मलिक]

हिन्दुस्तान के सब से बड़े ताकतवर घर से भी सम्बन्ध रहता है - फिलहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता -- निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि '61 से '81 तक डी डी ए को 7 लाख 15 हजार मकान बनाने थे, 30 हजार एकड़ जमीन का विकास करना था। 70 हजार जमीन का नोटीफिकेशन शुरू में कर दिया गया था, लेकिन अभी तक, '81 तक डी डी ए सिर्फ 9136 एकड़ जमीन का विकास कर पाया, सिर्फ 3200 फ्लाट दे सका, 66 हजार मकान दे सका। यह डी डी ए की उपलब्धि है। आज दिल्ली में 2 लाख 36 हजार लोग करीब रजिस्टर्ड हैं, जो मकान डी डी ए के जरिए चाहते हैं, पैसा जमा कर चुके है। '61 में दिल्ली में 20 अनधिकृत बस्तियां होती थीं, आज 612 अनधिकृत बस्तियां हैं।

612 अनधिकृत बस्तियां हैं। 75 में 18 पुनर्वास कालोनियां थीं, अब 44 हैं और करीब 20, 22 लाख लोग उन में रह रहे हैं। चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर लगाये गये थे कि हम शानदार दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं। आप उस में सहयोग दीजिए। लेकिन वह कौन सी शानदार दिल्ली है और किस से संबंधित है। एक दिल्ली है जिस में हम आप बैठे हैं और जिस में देश की प्रधान मंत्री रहती है। वह वास्तव में दुनिया की जो-जो अच्छी राजधानियां हैं जो दुनिया के दूसरे मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं उन में पांच या चार में से एक मानी जा सकती है और वह एक खूबसूरत दिल्ली है और कल्पना की अति है जो वहां रहते हैं, जो वहां बैठे हैं वह उस शानदार दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया की किसी राजधानी में यह संभव नहीं कि जहां हम और आप रहते हों और जिस को शानदार दिल्ली गिना जाय उस के दस किलोमीटर या 15 किलोमीटर की सीमा में आप को अनधिकृत बस्तियां भी मिल जायं। 15 किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद हुयूमन नरक देखने को मिल जाता है जिन में सीवर की कोई व्यवस्था न हो, न कोई सफाई की व्यवस्था हो और न बिजली की और न दवा दारू की कोई व्यवस्था हो। ऐसा किसी राजधानी में कम से कम अन्य मुल्क की किसी राजधानी में आप को नहीं मिलेगा, ऐसा वहां संभव नही है। इस के अलावा 70 हजार एकड़ जमीन की आप ने नोटीफिकेशन कर दिया। और दो दो रुपये फी स्क्वायर मीटर में आप ने जमीन ले ली और 50 हजार रुपये फी स्कवायर मीटर में आप ने उस को बेच दिया। कहीं इस पर बहस नहीं होती। हर साल किसान यहां आ कर बैठता है, लेकिन उस की कोई सुनवाई नहीं होती। तो मेरा निवेदन है कि जो जमीन के दाम है उन में 100 गुने से ज्यादा की वृद्धि हो गयी। किराया इतना देना पड़ता है दिल्ली के नागरिक को कि उस को कुछ बचता नहीं, उस के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती; उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती और उस की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा किराये में ही चला जाता है। ऐसी निर्ममता और ऐसी राजधानी आप को कही और देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो डी डी ए की टोटल फंक्शनिंग है उसका जो सारा काम करने का तरीका है उस के लिये एक हाई पावर कमेटी बिठाई जाय। बेहतर तो यह होता कि आप इस शहर के विकास का काम सिर्फ डी डी ए को ही नहीं देते। कोआपरेटिव संस्थाओं के जरिये या दूसरी संस्थायें जो कायदे से पब्लिक सेक्टर हों वे नियम और कायदे मान कर काम कर सकें उन को देते और

यह काम उन को करने देते। लेकिन अगर आप डी डी ए को ही चलाना चाहते है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक्यूजीशन का मामला है जमीन के डवलपमेन्ट और डिस्पोजल का मामला है और तीसरे जमीन के विकास का और मकान बनाने का मामला है, उन के इस तरह से तीन अलग अलग टुकड़े कर दीजिए क्योंकि डी डी ए आज एक बड़ा भारी राक्षस बन गया है जिस पर आप कोई लगाम नहीं लगा सकते। तो डी डी ए के सारे कामों के बारे में और जो पिछला बाकया हुआ है उस की जांच के लिये और आगे वह किस तरह से चले इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी जाय। इसकी बहुत जरुरत हैं। उस को जमीन को लेने किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देने और जमीन के विकास की दर को तय करने का काम देना चाहिए। यह बड़ी भारी बात है कि आप 9000 एकड़ जमीन का विकास करें और एक दिन में ही उतनी जमीन पर अनधिकृत बस्तियां बन जायं और चुनाव के लिये उन को मान्यता दे दी जाय बिना उन को कोई ह्यूमन सुविधायें देते हुए। तो मैं मांग करता हूं कि आप यह कोशिश करें कि इस के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी बने जो डी डी ए के काम काज की जांच करे।

अब मैं मूल प्रश्न की तरफ आना चाहता हूं। मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा। उन्होंने ईमानदारी से माना है 20.8.82 को मयर विहार में दुघर्टना हो जाती है। उस के बाद कहीं भी किसी तरह से दिखाई नही देता कि आप ने उस घटना को गंभीरता से लिया है। उस के लिये कोई जांच कमेटी नही बिठायी जाती। उस के लिये कोई मुआत्तल नही होता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उस के बाद 7.11.82 को ग्रेटर कलाश में फिर दुर्घटना हो जाती हैं लेकिन वह भी ज्यादा रोशनी में नहीं आती। दिसम्बर, के अखिर में डी डी ए, ने एक बड़ा भारी विज्ञापन दिया कि हमारी फलां फलां उपलब्धियां है और एक कवि सम्मेलन होने वाला है और उस मे डी डीए की रजत जयन्ती मनायी जायेगी। उसी समय कुदरत एक तमाशा करती है कि विकास पुरी में कुछ मकान गिर जाते हैं। मैं तो नास्तिक आदमी हुआ लेकिन कुदरत की बात इस लिये कहता हूं कि अखबारों में यह छपा है कि डी डी ए के कर्मचारियों ने और इंजीनियरों ने यह देखा कि जहां मकान गिरे है फिर वहां पहले एक काली बिल्ली दिखायी दी और फिर वह भूरी हो गयी और उस के बाद वही बिल्ली सफेद हो गयी और फिर वे मकान गिर गये। इतनी बेहूदा बात हो गयी और उस के बाद भी आप ने किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की।

खबर यह भी थी कि वहां कब्रिस्तान था, वहां सफेद कपड़े वाला आदमी दिखाई देता है। यह बेहूदा काम किसी सरकार के चलते होता है। उसके बाद एक स्कूल गिरता है जिसमें एक महिला मारी जाती है। लगातार कुछ न कुछ गिरने की रोज खबरे आती है। कहा जाता है कि यह इंजीनियर मुअत्तिल हुआ, वह ठेकेदार पकडा गया है। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हू कि आपने बराबर अभी यह कोशिश नही की कि ये जो पकड़े गये क्यों पकड़े गये। जो मकान बनाये जाते थे, जितने मकान नागरिकों को दिये गये हैं उनमे क्वालिटी कंट्रोल का आपका कोई पैमाना नही था, कोई जांच नहीं होती थी। डी डी ए के अफसरान ने यह बात कही हैं कि क्योंकि एशियाड चल रहा था इसलिये बढ़िया सीमेन्ट उपलब्ध नहीं

[श्री सत्यपाल मलिक]

था और अफसरान के पास वक्त नहीं था। डी डी ए सेकिन्ड प्रियोरिटी में आ गया था। इसमें शिथिलता आ गई थी। यह लापरवाही के साथ चल रहा था। यह काम कुछ कम्पनियों को दे दिया गया था। इस प्रकार से सारा काम चल रहा था और इसका नतीजा यह हुआ।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने मकान अभी तक बने, दिल्ली वासियों को इससे पहले दिये गये क्या उनको टेस्ट कराया गया? यह मेरा मुख्य प्रश्न है। आपको जानकर हैरत होगी "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपता है जनवरी, 14 को कि जो कमेटी इसकी जांच के लिये बनी थी वह कमेटी कहती है कि इन मकानों की बिना कुछ रिपेयर किये, बिना कुछ इनमें सुधार किये जांच नहीं हो सकती। इतनी खराब स्थिति है जो मकान आपने आलरेडी लोगों को दिये हैं उन मकानों में कायदे से, तरीके से, सलीके से रहना चाहते हैं और उनको उसमें रहने के लिये 10,20 हजार रु० अपने खर्च करने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी वहां सुरक्षा की गारन्टी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितने मकान डी० डी० ए० ने बनाकर दिल्ली में लोगों को दिये हैं उन सारे मकानों की जांच किसी ऐसे विशेषज्ञ दल के द्वारा कराई जाए जिसमें सिर्फ डी०डी ए के इंजीनियर न हों बल्कि दूसरे महकमों के विशेषज्ञ भी शामिल हों। क्योंकि जो पाप करने वाला होता है वह उसको सही साबित करने की कोशिश करता है। मेरी मुख्य मांग यह है कि दिल्ली में डी०डी०ए० ने जितने मकान बनाए हैं उन सब की सुरक्षा की जांच हो और ऐसी कमेटी के द्वारा जिसमें दूसरे महकमे के विशेषज्ञ हों और जो लोग रह रहे हैं मामूली लोग, तनख्वाह पाने वाले लोग, उन सब लोगों का तब तक के लिये बीमा सरकार की तरफ से कराया जाए। उनकी सुरक्षा का भी कोई प्रबन्ध होना चाहिये।

आखिर में तीन प्रश्न जो मैंने पूछे हैं उनको दोहराना चाहता हूं। पहला यह है कि क्या डी०डी०ए० की टोटल फंक्शनिंग के बारे में पूरी कार्य शैली के बारे में, डी०डी०ए० की कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में क्या कोई हाई पावर कमेटी बनाने के लिये आप तैयार है? दूसरा प्रश्न यह है कि जो अभी तक जांच हुई और उससे जो नतीजे निकले हैं उसके आधार पर क्या जितने मकान आपने दिल्ली में दिये हैं उनकी डी०डी०ए० के अलावा अन्य महकमों के विशेषज्ञों की कोई कमेटी बनाने के लिये तैयार हैं? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या डी०डी०ए० की मानोपोली खत्म करके आप सहकारी संस्थाओं या अन्य संस्थाओं को भी काम देने के लिये तैयार हैं ताकि जो डी०डी०ए० की मानोपली है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, मकानों की कमी हुई है। आज भी पांच लाख मकान और बनाने की जरूरत है और यह आप में बनाने की क्षमता नहीं है। सन् दो हजार की जो दिल्ली है उसका कोई आयोजन आपके पास नहीं है। आप मकान दे नहीं पायेंगे। इस सिलसिले में क्या कोई व्यापक नीति आपने तैयार की है?

[उपसभाध्यक्ष डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला पीठासीन हुईं]

श्री बूटा सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। पहले तो काफी कुछ वह जनरल बोल गये दिल्ली राजधानी के बारे में जब कि कालिंग

अटेंशन में कुछ घटनाओं का जिक्र है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि आपने फर्माया कि दिल्ली, जो नई दिल्ली है जिसमें हम सब लोग रहते हैं आप और हम और हमारे अध्यक्ष महोदया, उसके 10 किलोमीटर के बाहर निकल जाएं तो पता लग जायेगा कि दिल्ली का क्या हाल है। मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि अगर वे चश्मा उतार कर देखें तो शायद उनको नजर आ जायेगा। रिसैटलमेंट कालोनीज 10 किलोमीटर से कहीं ज्यादा दूरी पर हैं। वे उन गरीबों की आबादियां हैं, झुग्गी-झोंपडी वालों की आबादियां हैं जिन्हें कभी सपनों में भी नहीं लगता था कि दिल्ली में उनका अपना घर होगा, अपना मकान होगा। आज उन रिसैटलमेंट कोलोनीज में, चाहे वह मंगोलपुरी हो, कल्याणपुरी हों या विकासपुरी हो, जितनी भी कालोनियां हैं उनमें हम जितनी सुविधायें दे सकते थे वे हमने दी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सैन्ट्रल दिल्ली में खास करके नई दिल्ली में, जो दुनिया की सबसे अच्छी राजधानियों में माना जाता है, जितनी भी सुविधायें हमारे पास हैं वे सभी सुविधायें उनके पास हैं। होस्पिटल फैसिलिटीज हैं, डिस्पैन्सरीज हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हैं, अच्छी सड़कें हैं और हर कालोनी में उनके हर ब्लाक के पास स्कूल हैं।

श्री सत्यपाल मलिक : मैं अनअथोराइज्ड कालोनीज की बात कह रहा हूं।

श्री बूटा सिंह : आपने 10 किलोमीटर की बात कही थी, लेकिन मैं तो 20–25 किलोमीटर की बात कर रहा हूं।

श्री सत्यपाल मलिक : आप मेरे साथ पांच किलोमीटर की दूरी तक चलने के लिये क्या तैयार हैं ?

श्री बूटा सिंह : आपने 10 किलोमीटर की बात कही थी, लेकिन मैं 15–20 किलोमीटर तक चल गया हूं। जो आपने कहा उस में भी तथ्य है। अभी बहुत सुधार करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि डैवलपमेंट की हर वक्त जरूरत रहती है। मगर यह सही नहीं है कि दिल्ली में जो विकास हुआ वह किसी माप-तौल से सराहनीय नहीं है। यह बात हमको मान लेनी चाहिए। दिल्ली का जिस तरह से प्रसार हो रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सन् 1947 में अगर मैं भूलता नहीं हूं तो दिल्ली की आबादी मुश्किल से 12–13 लाख थी और आज दिल्ली की आबादी 70 लाख के करीब पहुंच रही है। सभी लोग आज दिल्ली में आबाद हो रहे हैं। उन सब को घर चाहिए। उनकी उम्मीद यह है कि आज जितनी भी माडर्न सुविधायें हैं चाहे वह टी० वी० हो, रेडियो हो, वे सब उनको चाहिए। हर एक को कार भी चाहिए, पारकिंग प्लेस भी चाहिए और अन्य सब सुविधायें, आइडियल फैसिलिटीज, हर दिल्ली वाले को चाहिए। अगर आप दिल्ली डैवलपमेंट अथोरिटी की जिसके जिम्मे दिल्ली के विकास का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी कार्यवाही को देखें, तो बहुत ही आशा जनक भविष्य सामने आ रहा है। आपने कुछ आंकड़े दिये। मैं समझता हूं कि आपके आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं। आफिशियल स्टेटिस्टिक्स जो दिल्ली डैवलपमेंट अथारिटी की तरफ से हमें उपलब्ध हुए हैं उनको अगर आप

[श्री बूटा सिंह]

देखें तो आपको पता चलेगा कि आज तक दिल्ली डैवलपमेंट अथोरिटी ने 86 हजार हाउसेज बनाकर लोगों के लिये दिये है । पिछले तीन वर्षों मे, सन् 1980–81 में 17 हजार और इसी तरह से 1981–82 में 20 हजार और 1982–83 मे 25 हजार मकान दिये हैं । जिस तरह से यह रफ्तार बढ़ रही है उससे यह साबित नहीं होता है कि उसकी गति बहुत धीमी है, उनकी कार्यक्षमता बहुत थोड़ी है । इस से सिद्ध यह होता है कि 12 हाउससेज पर वर्किंग आवर दिल्ली मे बन रहे है ।

श्री सत्यपाल मलिक : वैकलोग कितना है ?

श्री बूटा सिंह : आपने इन सारी चीजों का उल्लेख किया इस लिये मुझे भी ये बातें कहनी पड़ी । इस लिये यह कहना ठीक नहीं है । यह कहना कि दिल्ली डैवलपमेंट अथोरिटी की गति बहुत धीमी है, उनके काम में कुशलता नहीं हैं, यह असत्य है । इस प्रकार का वातावरण पैदा करना जिससे लोगो की आस्था इतने बड़े विकास कार्य मे कम हो, यह ठीक नही है । यह बात दुरुस्त है कि तीन चार घटनायें हुई हैं । जितनी जगहों पर इतने भारी निर्माण का कार्य हो रहा है, हजारों मकान बन रहे हैं उनमे चार घटनाओं का उल्लेख हुआ है । जिन चार घटनाओ का जिक्र हुआ है उनमे तुरन्त कार्यवाही की गई है । जितना भी शासन इस काम में लगा हुआ है उसको तुरन्त हरकत मे लाया गया और एक्शन हुआ । हर जगह पर जहां जहां पर भी घटनायें घटी हैं तुरन्त एक्शन लिया गया है । आपने विकासपुरी का जिक्र किया । वहां पर तीन अच्छे हमारे आफिशियलस थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ और प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी है । उनको ससपैन्ड भी रखा गया । Avantika-Mangolpuri major penalty proceedings are being taken against defaulting officers. A proposal for initiating major penalty proceedings against the Executive Engineer is also under consideration Action against the officer responsible for faulty design of the storm water drain is also being taken. Similarly, in the Greater Kailash area where unfortunately one person died, major penalty proceedings are being initiated against the defaulting Assistant Engineer and the Junior Engineer. The Executive Engineer has been repatriated to the CPWD. The parent department has been informed of the mishap and requested to initiate disciplinary proceedings against him. You will appreciate that action against the officers of the Government cannot be taken just on the spot without consulting the rules and the service conditions. You have to fulfil those rules and the service conditions; only then can you proceed against them. Whatever possibly can be done is being done. In all the four, five, incidents which took place unfortunately in Delhi.

आपने कहा कि कोई ऐसी हाई पावर कमेटी बनाई जाये । इसके लिये ऐसा आवश्यक नही लगता है कि तीन-चार घटनाओं को लेकर इतने बड़े पैमाने पर चल रहे काम को ठप्प करके उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया जाये और विकास का जो काम है उसको रोक दिया जाये । हमें पूरी तरह से तसल्ली है इस बात की । जो काम चल रहे है, नार्मली उसको नहीं रोकना चाहिए, उन्हे चलते रहना चाहिए । बहरहाल मानीटरिंग और बाकायदा जांच होती रहे, इंसपैक्शन होता रहे, इसके लिये हमने कदम उठाये हैं । जैसा मैंने अर्ज किया ।

A Chief Engineer exclusively for quality control. And similarly for monitoring the Vice-Chairman, DDA, himself lead surprise visits very frequently. In addition to all this on-the-spot inspection is being done by the DDA. There is a cell from the Central Vigilance Commission which is the highest body in our country for maintaining vigilance on quality and ensuring that works are done according to the rules and specifications. They are also associated: they work independently; they do not work under the DDA. And they bring their findings. Some times they suggest actions, very drastic actions. Therefore, there is sufficient scope both within the DDA and from outside. The DDA, the Government of India, our Ministry, also keeps a very close watch on what is going on in the D.D.A. So there is hardly any need for any high power committee afresh to go into the working of all the projects under the DDA.

[illegible]

आपने फरमाया कि डी० डी० ए० की जगह किसी दूसरे को भी दिल्ली के विकास का काम देना चाहिए। वैसे बहुत काफी हिस्सा जो विकास का दिल्ली मे है वह डी० डी० ए० के पास है, यह सच है। लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट कोआपरेटिव सोसायटीज जो मकानात बनाती है उनको कभी हमने रोका नही। इसी तरह मे दिल्ली शासन के अन्तर्गत, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का सी० पी० डब्ल्यू० डी० विभाग जो है वह अपने प्रोजक्ट स्वयं बनाता है। उनके रास्ते में डी० डी० ए० नहीं आता। म्युनिस्पल कारपोरेशन और एन० डी० एम० सी० है। सारा दिल्ली का काम डी० डी० ए० के पास है यह बात सही नही है। यह सही है कि बहुत सा काम दिल्ली का डी० डी० ए० के पास है। डी० डी० ए० ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले दिनों एशियाड के माध्यम से मुझे डी० डी० ए० के इंजीनियरों के साथ काम करने का मोका मिला है। मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि जिन प्रोजक्ट में डी० डी० ए० ने काम किया है उनमे कुछ प्रोजेक्टस ऐसे हैं जो दुनिया में कभी नहीं बने। मुझे यह कहते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। यह जरूर है कि दिल्ली डैवलपमेंट अथोरीटी के काम को ज्यादा कुशल और ज्यादा चुस्त करने की जरूरत है, मगर ऐसी बात नहीं है जिससे पैनिकी हुआ जाये, इसके लिये कोई पैसिमिस्ट होने की जरूरत नहो है।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Madam Vice-Chairman, there is no doubt that the DDA is playing a very vital role in the development of Delhi City. They have done good work in Asian Games. That apart, I would like to ask on the merits of the question. Before that I would like to suggest to the Minister one thing. Previously journalists used to get allotment of houses by DDA. That has been dispensed with in the last two years. They are in great difficulty in getting allotment of houses in Delhi. Being a champion of sports, will the honourable Minister also assure the House that outstanding sportsmen will be given priority in allotment of houses in the Asian Games Village or in the houses constructed by the DDA? Coming to the Calling Attention, I find that the action taken by the DDA is not commensurate with what has happened in different places.

Firstly I would like to know from the Minister whether any compensation was paid to the family of the man who died due to the collapse of the roof on 7th November 1982.

In paragraph 3 of the Minister's statement it has been stated by the hon Minister that the contract was rescinded and the contractor has been debarred. If the responsibility was that of the contractor, I would like to know whether there was any penal clause in the contract under which he could be penalised in terms of money. Under the penal clause you could

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

stop payment to the contractor. Merely rescinding the contract is not sufficient. There must be a penal clause in the contract. Then only the penalty will be commensurate with the mischief. These contractors are playing havoc with the lives of people of Delhi.

In paragraph 6 it has been stated that the task force inspected more than 20,000 houses and its recommendations are being followed up by the concerned field officers of the Delhi Development Authority. I would like to know what are the recommendations made by the task force. If the Minister could tell us what are the recommendations made by the committee that has been mentioned in paragraph 6 of his statement, that will assure the people of Delhi that steps are being taken for the safety of people and such incidents will not occur in future.

Secondly, whenever DDA is constructing houses it will not be proper to appoint their own officers as expert committee to go round and inspect the works. Will the Government consider constitution of such committees with persons from outside so that their recommendations or decisions will not be alleged to be favouring somebody or biassed? This is a very important question. Their finding should be independent of the DDA.

Lastly, though the DDA is doing very good work in Delhi, it is not doing much for the poor people. Nearly ten lakhs of people are living in huts in Bombay. Similarly in Delhi also there are such people. They cannot afford to build houses. That is why encroachment is taking place in differnt areas. Will the DDA change its policy so that the poor people can have their own houses at cheap rate in Delhi?

THE VICE-CHAIRMAN (DR.) SHRIMATI NAJMA HEPTULLA): Would you like to reply now or in the end?

SHRI BUTA SINGH: I will reply in the end.

THE VICE-CHAIRMAN (DR.) SHRI MATI NAJMA HEPTULLA: That will save time. Shri Bharadwaj.

श्री रामचंद्र भारद्वाज (बिहार) : उपसभाध्यक्षा जी, मैं अपने नेता और अपनी सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली आवासीय योजना के अन्तर्गत उन्होंने यह तय किया है कि वे किसी भी आदमी को घर के बगैर नहीं रहने देंगे । यह बड़ा पुनीत कार्य है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है । जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि मकानों को बनाने की गति तेज की गई है, मकानों के निर्माण की संख्या अधिक की गई है और इसकी वजह से भी कुछ कमियां उसमें हो सकती हैं । क्योंकि रफ्तार जब तेज हो जाती है तो दुर्घटना का अहसास भी बना रहता है उसकी आशंका भी बनी रहती है । आए दिन जो कुछ अखबारों में देखने को मिलता है उसमें हमारी नीति पर कहीं टिप्पणी नहीं है, हमारी नीयत पर कहीं टिप्पणी नहीं है और हमारी हर जगह प्रशंसा हो रही है । हम दिल्ली में बेघरों को घर दे रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र के हित में है जो हमारी जनता के हित में है मगर उपसभाध्यक्षा जी, एक बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था कि अस्पताल चाहे जिस तरह के बने कम से कम वह मर्ज न फैलाएं यह जरूरी है । थोड़े हेर फेर के साथ यह कहा जा सकता है कि फ्लैटस डी० डी० ए० चाहे जितने बनाये, जिस प्रकार के बनाये वह घरौंदा नहीं होने के लिए नहीं बनाये, वह मकान रहने के लिए बनाये, इस बात की जरूरत है; यह हम महसूस करते हैं । हम माननीय मंत्री जी से

आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि बहुत तफसील में जाकर इस बात को वे देखने का प्रयास करें कि प्रशासन में किस स्तर पर क्यों इस काम को इस योजना को नाकामयाब करने के लिए असफल करने के लिए किस प्रकार का षड़यंत्र चल रहा है और उस षड़यंत्र का मुकाबला वे किस तरह से कर पाएंगे । अखबारों के देखने से यह पता चला है कि डी डी ए का सीमेंट बाजारों में बिकता है । यह भी पता चला है कि डी डी ए के कुछ अधिकारी मुअत्तिल हुए हैं और कुछ लोगों पर और कार्यवाहियां हुई हैं । पिछले महीने में जो हाउसिंग की परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी उस समय तत्कालीन मंत्री महोदय ने कुछ आश्वासन भी दिये थे और यह बतलाया भी था कि कोई ऐसा पैनल या हाई पावर कमेटी है जो इस पर इन्क्वायरी कर रही है या करने का उपाय किया जा रहा है । इधर जो कुछ अखबारों में देखने को मिला उससे लगता है कि उस कमेटी ने काम शुरु नहीं किया है । कोई मिस्टर राव हैं जिनके मातहत यह काम किया गया है । परन्तु ऐसा लगता है कि उनकी स्वीकृति भी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है । यह तो विभागीय मामला है मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता और न इस पर कोई स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि डेपुटेशन पर आये हुए जितने इंजीनियर्स वहां पर हैं और अनंत काल से वहां बने हुए हैं उन लोगों को पैरेंट बाडी में भेज दिया जाए । क्योंकि जब हम एक विचारक की हैसियत से एक चिंतक की हैसियत से इन बातों पर सोचते हैं कि सरकार कितना कुछ जनता के लिए करना चाहती है, इतने पैसे लगा रही है तो फिर यह सवाल आता है कि यह आखिर बीच में अटक कहां जाता है । यह अटकता है हमारे अधिकारियों के गले में या यह अटकता है हमारे कर्मचारियों के हाथ में । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनसे बड़ी आशा है लोगों की । वे ऐसे उपाय करें सोचें, निकालें कि डी डी ए के बनाये फ्लैट लोगों को सही सही मिले । वे सभी को मकान देना चाहते हैं तो उनको सही तरह निर्मित मकान दें । ऐसा भी समाचारों में देखने में आया है कि हमारे कुछ इंजीनियर्स एंटीसिपेटरी बेल लेकर घूम रहे हैं । हमने राजनीतिज्ञों के बारे में ऐसा सुना था, हमने क्रिमिनलों के बारे में ऐसा सुना था । मगर हमारे सरकारी अधिकारी एंटीसिपेटरी बेल लेकर घूम रहे हैं और हमारे विभाग का काम भी कर रहे हैं अगर ऐसी बात है तो ऐसे लोगों पर खास नजर रखने की जरुरत है और ऐसे लोगों से विभाग को खास तौर से बचाने की जरुरत है । जूनियर इंजीनियर्स जो सवा चार सौ से लेकर सात सौ के ग्रेड में होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर्स जो साढ़े 6 सौ से लेकर 12 सौ के ग्रेड में होते हैं उनकी सम्पत्ति की जांच की जाय । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें बहुत लोगों के पास गाड़ियां हैं अपने मकान हैं । सरकार से चाहूंगा कि इस पर जांच हो और सी बी आई के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो । जो संपति उन्होंने अर्जित की है—चाहे ठेकेदारों से मिलकर की हो चाहे किसी तरीके से की हो उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए । क्योंकि एक बार जब तक आप पूरी तरह से इस प्रशासनिक ब्यू को नहीं तोड़ेंगे और उसमें जो भ्रष्टाचार समाया हुआ है उसको ओर अपना ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको जो इतना पवित्र आयोजन है

[श्री रामचन्द्र भारद्वाज]

इतना पवित्र उद्देश्य है निष्फल होगा और आप जो चीज जनता को देना चाहते हैं वह उनके पास तक नहीं पहुंच पाएगी । अतः मैं स्पष्ट शब्दों में मंत्री जी से इस संबंध में आश्वासन चाहता हूं । प्रशासनिक स्वच्छता लाने के लिए और जिम्मेदार आदमियों के बारे में सिर्फ यह न कह देने के लिए कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, काफी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि तबादला कोई सजा नहीं है और कोई भी मानेगा कि अगर किसी की किसी बात पर तबादला कर दिया गया तो वह सजा नहीं है । अतः मैं निवेदन करता हूं आपके मान्यवर माध्यम से कि ऐसे लोग जो पाये गये हैं जिनकी गलतियां पायी गयी हैं उन्हें सिर्फ ट्रांसफर क्यों किया गया उन्हें मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया और कार्यवाहियां उन पर क्यों नहीं हुई । जब तक कार्यवाहियां करने में हमारी सरकार कठोर नहीं होगी तब तक इतने बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे को साफ नहीं किया जा सकेगा और जनता तक सही चीज जो हमारे माननीय मंत्री जी पहुंचाना चाहते हैं जो हमारी महान नेता पहुंचाना चाहती हैं वह नहीं पहुंच पाएगी । धन्यवाद ।

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : मोहतरमा, मैं कुछ बात कहने के पहले एक मुद्दे की तरफ जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । आप डी. डी. ए. के कसीदे के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन डी. डी. ए. का मतलब जो है, जो लिखा रहता है बोर्डों पर--दिल्ली विकास प्राधिकरण । तो मतलब साफ है कि दिल्ली में विकास का काम करता है । अब आप मकानों की दलाली और ठेकेदारी करें, यह कभी उसका मकसद नहीं रहा है । बल्कि अब तो दिल्ली में डी. डी. ए. को मैं यह कहने वाला हूं और कहता हूं कि दिल्ली डेवरीज आन्शन अथारिटी, दिल्ली का मलबा बेचने वाली संस्था है यह । जो मलबा है, उसको नीलाम करती है--डी. डी. ए. का मतलब यह होता है ।

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : क्या ?

श्री लाडली मोहन निगम : डेवरीज मलबा ।

श्रीमती सरोज खापर्डे : यह मलवा समझ में नहीं आया । इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो समझ में नहीं आया ।

श्री लाडली मोहन निगम : हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोल दिया । लेकिन अब मैं जो आरोप लगाना चाहता हूं वह यह है कि अगर संस्था ने आपके नेता का और उसके मानस का उल्लंघन किया होगा, तो वह आपकी यह संस्था है और मुझे मालूम नहीं कि इंदिरा जी के कहने में और करने में कोई फर्क है, तो बता दीजिए ।

आपने जो एक तरफ मकानात बनाए हैं, वह कहीं भी बीस-सूत्री कार्यक्रम में फिट ही नहीं होते हैं । बीस-सूत्री कार्यक्रम का तो मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ चलें ना । आपने मकानों की न मालूम कितनी श्रेणी बना डाली हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई चीज नहीं होती । अगर कभी समाज में कुछ प्रतिष्ठित ब्राह्मणों ने वर्ण-व्यवस्था बनाई थी, तो आजाद भारत के बाद भी आपने वर्ण-व्यवस्था बनाई । पहले शान नगर बनाया, फिर मान नगर बनाया,

फिर सेवा नगर बनाया और फिर विनय नगर बनाया । उसी तरीके से आप भी आए ।

आमदनी का आधार बनाया है आपने मकानों को, जो दिल्ली विकास में कोढ़ के धब्बे की तरह मुझे नजर आते है । किसी आदमी के पास पैसा है—और आप जानते हैं कि ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से कोई आदमी दो लाख रुपये का फ्लैट नहीं ले सकता है। एम.आई.जी. हाउसेज जो आपने पहले पन्द्रह बीस हजार की सिक्युरिटी लेकर बुक किये थे आज अस्सी-अस्सी हजार रुपये में जिनको आपने बनाने का वायदा किया था, उनके दाम आपने बेबुनियाद बढ़ा दिये हैं और इसी तरीके से दूसरे मकानों की कीमत भी आपने बढ़ा दी है ।

तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि अगर आप बहुत ईमानदार हैं और कम से कम बूटा सिंह जी आप तो गरीबों का दर्द समझते हो, एक अपनी राय से ही फैसला कर दो कि डी.डी.ए. जो भी मकान बनायेगी, एक कीमत के बनायेगी, एक से मकान बनायेगी; ताकि आदमी को जब अपने घर में वह वापिस पहुंचे, तो कम से कम उसे इस बात का तो अहसास हो कि समाज में भले ही मेरे ऊपर श्रेणियां हों, लेकिन घर के अन्दर में एक समान, बराबर हू—एक चपरासी भी और एक सचिव भी ।

खैर, यह पता नहीं कि आप करोगे कि नही । इसमें आपने बड़ी खूबी से कहा; मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह मकान पिलपिले क्यों बनते हैं, क्यों टूटते हैं ? ठेकेदार जब अपना मकान बनाता है तो क्यों नही टूटते और कम पैसे में क्यों बनते है ? आपने कहा कि मैंने पांच लाख मकान बना करके दिये और फिर भी अस्सी हजार के मकान आप बना कर के देने वाले हैं ।

मैं बीच का तखमीना निकाले लेता हूं कि अगर 20 प्रतिशत भी एक मकान पर खर्च आए, छोटे-बड़े सब मिला कर. तो करीब करीब दस अरब रुपये आपने खर्च किये और इसमें से आप 10 प्रतिशत कमीशन जो जायज कमीशन सी.पी.डब्ल्यू.डी. में चला करती है, जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर विदाउट रीजन—मैं साबित कर सकता हूं कि आपकी डी.डी.ए. ने कम से कम एक अरब रुपया तो ईमानदारी दस्तूरी के रूप में कमाया है और जब नीलामी करते हो, तब कितना कमाते हो, उसकी तो कोई इन्तहा नहीं है । इसलिए उसकी कोई न कोई सीमा तो बनायेंगे ।

तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं—आपने जो इसमें कहा है कि नाला बहने लगा और उसके पानी की वजह से दीवार बैठ गई । हुजूर मैं पूछना चाहता हूं कि नाले के पानी से दीवार बैठ जाए, ठीक है, जमुना में बाढ़ ऐसी आई नहीं कि बैठ जाए लेकिन आपके बनाए हुए पुल बैठ गये हैं । भाई, दीवार की कहां तुलना है ।

रिहायश नही हो सकती, जो सामान लगना चाहिए वह नहीं लगता है । आप जरा कल्पना कीजिए कि एक आदमी अपनी बीवी का जिंदगी का जेवर है उसको बेच कर या कोई सरकारी कर्मचारी जो अपनी ग्रेच्युटी और अपनी पेंशन का सारा पैसा, उसमें झोंक देता है और उसके बाद भी जब घर जाकर बैठे तो उसको छत टूटा हुआ मिले, तो कैसा अच्छा है ।

[श्री लाडली मोहन निगम]

मतलब बिलकुल साफ है, आपकी नीयत है कि जो भी आदमी ईमानदारी से पैसा कमाये उसको आपके राज में—मान लीजिये उसको 80 हजार ग्रेच्युइटी के मिले तो स्वाभाविक है कि वह बाजार मे जायेगा, काले बाजार से सीमेंट लेगा और उसका सफेद पैसा काला पैसा हो जाता है । कर्मचारियों के लिए कोई योजना है ? मैं आपसे एक सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूं । आप एक नियम बनाइये कि मकान जो मिलेंगे वह सब से पहले प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे और किसको मिलने । जो आपके पुराने वायदे है उन को पूरा करिये । सन् 76 में आपने वायदा किया—आफीशियल गैलरी में जो बैठे हैं उन में से कितनों ने पैसे जमा किये होंगे एम आई जी के लिए—और आज ,81 में कह रहे हो कि अपने पैसे वापस ले लो और उसके बाद दोबारा पैसे जमा करो, 80 हजार की जगह, दो-तीन लाख का मकान देंगे । इतनी बड़ी वचनभंगी दुनिया की कोई सरकार नहीं हो सकती । व्यापारी भी ऐसी चोरी नहीं करता । सट्टा बाजारी भी—जहां बिना लिखा पढ़ी के सौदा होता है—अपना वायदा निभाता है । जो '76 में वायदे किये उनको पूरा कीजिये ।

दूसरी बात यह है कि आप क्यों हिन्दुस्तान में हम लोगों को विशिष्ट प्राणी बनाते हैं । आपने कहा कि 4 परसेंट मकान डी डी ए संसद-सदस्यों को देगी । क्यों ? पांच-छः वर्ष के लिए हम आते हैं । दिल्ली के अगर संसद-सदस्यों को मकान देने हैं तो जो 7 संसद-सदस्य हैं उन को दे दो । बाकी अपने-अपने क्षेत्र में रहेंगे । यहां बैठे रहते है तो आप को रोज सुबह-शाम आकर परेशान करते है । क्यों यह तरीका निकाल रहे हैं ।

इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकारों को सब से कम तनख्वाह मिलती है, मेहनत ज्यादा है । आपने कहा था कि जो मान्यताप्राप्त पत्रकार हैं उन के लिए 2 परसेंट मकान रखे हैं, लेकिन आज कहते हैं उसे वापिस ले लिया । कम से कम एक वादा तो पूरा कर दो । उन के लिये जो 2 परसेंट का वायदा किया था, उस वायदे को तो पूरा कर दो ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दो-तीन भविष्य के लिए बूटा सिंह फैसले ले लीजिए । एक तो प्राथमिकता के आधार पर आप मकान बनायें । आपको शायद मालूम नहीं कि डी डी ए के सभी अधिकारी समझते हैं कि यह सदन निकम्मे हैं । सदन के सर्वोच्च पीठासीन लोग, स्पीकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनी—राज्य सभा के, लोक सभा के कर्मचारी देर रात तक संसद में बने रहते हैं, कमेटी ने सुझाव दिया, यह भी कह दिया कि संसद के दो-तीन मील के इर्द-गिर्द इनको जगह दो । आज उनको पीतमपुरा में जगह दी जा रही है । अगर मेरी जेब में पैसे हैं, बड़ा अफसर हूं तो मुझको यहीं जगह मिल जायेगी । अगर मैं सत्ताशीन लोगों में सम्बन्धित हूं तब तो होटल में भी रहने को जगह मिल जायेगी । मेरी समझ मे नहीं आता कि जो कर्मचारी है उन को इस इलाके में आस पास जगह न मिले ।

जो डी डी ए के मकान लेगें उसके बारे में भी एलान कर दीजिए कि जिस आदमी की आमदनी दो हजार रुपये से ऊपर है उसको डी डी ए कोई मकान बना कर नहीं देगी । मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि वह आपकी इनकम टैक्स की सीमा के नीचे में आते हैं । दो हजार रुपये की जो मजदूरी करने वाला है उस तक मकान मिले । तीसरी सामान्य मकान बनाने की बात ।

चौथी चीज आखीर में मैं कहूंगा कि खुद को सर्टिफिकेट मत दीजिये । आपका मकान गिर गया, आपका इंजीनियर सर्टिफिकेट दे देता है । 10 परसेंट वह पहले ले चुका है, 10 परसेंट कोई और दे दे तो कुछ न कुछ बहाना बना देगा, नाला

बह रहा है, नदी बह रही है। मेरी समझ में नहीं आता, लोग पानी के ऊपर मकान बनाने लगे हैं और वह मकान नहीं गिरते हैं। नाला बह रहा है, दीवार गिर गई, कुछ समझ में नहीं आता। इस लिए आप कोई एक कमेटी बनायें— आप का बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेन्ट्रल पी० दब्ल्यु० डी० है—मैं नहीं कहता गैर सरकारी बनाइये। ऐसी कमेटी बनाइये जब तक उस कमेटी से क्लहरेंस नहीं मिलेगी तब तक कोई मकान रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर आप यह चार काम कर दें तो भविष्य में बूटा सिंह जी, आप एक ऐतिहासिक पुरुष कहलायेंगे और मैं चाहता हूं कि आप ऐतिहासिक पुरुष बनें। अभी तक जो लोग इसमें रहे वह ऐसे नहीं थे। इस लिये कम से कम आप इतना तो कर दो। आप की राय सिर्फ आ जाय और उसके बाद यह कर दिया जाय कि वे एक सौ मकान बनायेंगे यह विश्वास दिलाया जाय और जो जनरलिस्ट हैं उनका कोटा उनको दिया जाय और आपके 1976 के जो वायदे थे उन पर आप कायम रहने का वचन दें और उनको पूरा करायें।

श्री कलराज मिश्र : (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना ही इस हिसाब से की गयी थी कि जितनी भी आवासीय व्यवस्था की आवश्यकता है उसको उपलब्ध किया जाय और साथ ही साथ उसको नियोजित ढंग से अच्छा खासा स्वरूप दे कर निर्माण किया जाय। यह उसके पीछे की मुख्य भूमिका थी। लेकिन श्रीमन्, जो मंत्री जी ने अभी आंकड़े देते हुए उद्धरण दिए हैं, उनको सुनने के बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा हमारे निगम जी ने एक बात उठायी है कि जिसके लिए आवासीय व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता है उसी दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। प्राथमिकता के आधार पर जिस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जो क्या वह की गयी? तो इस समय जो आंकड़े आये हैं उनको देखने के पश्चात यह साफ जाहिर होता है कि जो अनधिकृत तौर पर लोग यहां रह रहे है, जिनकी 612 ऐसी बस्तियां हैं दिल्ली में, वहां लोग रह रहे हैं उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां गन्दगी भरी हुई है। उनके लिए सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और इतनी दुर्दशा है कि उसको देखने के पश्चात अगर यह कहा जाय कि अपने विकास से 5 किलोमीटर या दस किलोमीटर दूर अगर हम जायेंगे तो ऐसे लोगों के दर्शन होंगे तो यह अतिश. योक्ति नहीं हो गयी। मंत्री जी को इस बात को अन्यथा तौर पर नहीं लेना चाहिए और इसको ध्यान में रख कर प्रायरटीज फिक्स करनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां विकास प्राधिकरण की नीयत का सवाल है, उस की आयोजना का तक प्रश्न उस में किसी है, रूप को मतभेद नहीं हो सकता। निश्चित से इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से सब को सहयोग करना चाहिए। लेकिन उसके द्वारा जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसको निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। उसको देखा जाना चाहिए और मैं इसी संदर्भ में कहूंगा कि मंत्री जी ने एक वक्त कह दिया जिसको सुन कर कर मुझे बड़ा निराशा हुई और मुझे लगा कि जिस गंभीरता से इस बात पर उनको विचार करना चाहिए था उस को वह स्थान वह नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार स्थानों पर दुर्घटना हो गयी तो इसके कारण हाई पावर कमेटी को बिठाने की क्या जरूरत है? चार स्थान ही नहीं, मैं समझता हूं कि अनेक स्थान हैं। मंत्री जी ने हिन्दुस्तान टाइम्स देखा होगा और उस के बारे में

[श्री कलराज मिश्र]

उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की होगी । हौजखास में लोगों ने शिकायत की थी कि हमें जो ऐलाटमेंट किया गया है उसके फ्लैट्स क्रैक हैं । उनकी स्थिति खराब है । कई फ्लैट्स हैं जनक पुरी के भी जिन में इस प्रकार की शिकायत हैं । रोहणी में भी इसी प्रकार की शिकायत है और पश्चिम विहार , विकास पुरी आदि यह सारे स्थान हैं जिनसे शिकायतें आयी है कि जो कंस्ट्रक्शन वहां हुआ है वह डिफेक्टिव हैं और लोगों की डी० डी० ए० के अधिकारियों की तरफ से से आस्था उठती जा रही है । और लोगों ने यह भी कहा है कि पहले जो आवासीय मंत्री थे श्री भीष्म नारायण सिंह जी, उन से प्रसाद लोगों ने शिकायत तक की और और उन्होंने कहा कि हमारे यहां जो फ्लैट्स दिये गये हैं, जो घर दिये गये हैं वे सारे घर क्रैक है, खराब हैं। उनको ठीक करना चाहिए । हमने डी० डी०ए. के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । मंत्री जी ने उसके लिए आश्वासन दिया लेकिन उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी । जो क्वालीटी कंट्रोल विंग है डी.डी.ए का उसकी तरफ से भी इंस्पेक्शन कराने की कोशिश की गई और इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने स्वीकार किया है कि डायल्यूशन आफ सीमेंट के कारण यह हुआ है और जो लैंड थी वह खराब थी । और जो सड वहां लगायी गयी है वह भी खराब थी तो यह सारी चीजें हैं । जो मकानों को आवासीय तौर पर बनाने की दशा में ठीक ढंग से नहीं की गई हैं और इस लिए वे डिफेक्टिव रहे है और इस कारण उन को इतनी दुर्दशा है । इस कारण यह साफ तौर से जाहिर होता है कि अधिकारी और ठेकेदार और हो सकता है कि प्रभावशाली जिनको आप वहां के जनप्रतिनिधि कह सकते हैं वे भी उससे संबंधित हो सकते हैं जिनकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए । सब ने स्वीकार किया है, वाइस चेयरमन जिनका नाम आपने बताया कि वाइस चेयरमैन ने इसको विशेष तौर पर ध्यान देकर कहा और आश्वासन दिया कि इसको देखने की कोशिश करेंगे । लेकिन वाइस चेयरमैन ने स्वयं स्वीकार किया है कि डिफेक्टीव मैटिरियल के कारण ही यह दुर्दशा उत्पन्न हुई है । मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह कोशिश करेंगे, जैसा हमारे मलिक साहब ने कहा, एक हाई पावर कमेटी नियुक्त करके उसके माध्यम से सारी जांच कराई जाए और जांच के द्वारा जो भी दोषी पाया जाए उसको स्थानान्तरित न किये जाए ।मंत्री जी ने कहाकि दोषी लोगो को स्थानान्तरित किया गया है । ट्रांसफर कोई सजा नहीं है । मेरा यह कहना जैसे एक इंजीनियर मेम्बर इ, श्री आर० एस० गुप्त, उसके विकास मिनार में विभिन्न स्थानों से जो डी.डी.ए के कर्मचारी थे उन्होंने डिमोन्सट्रेशन किया था 25 जनवरी को। उन्होंने यह कहा कि गुप्ता हटाओ भ्रष्टाचार मिटाओ । यह नारा दिया । उनके रेजीडेंस के सामने भी और विकास मिनार के सामने भी । मैं जानना चाहता हूं उनके खिलाफ क्या कार्रवाही हुई ? मुझे अभी पता चला है 10–15 दिन पहले कि उनको हटा दिया गया है । उनके ऊपर बहुत गहरे आरोप हैं । उन गहरे आरोप की क्या जांच की ? मैं समझता हूं जांच के आदेश देने चाहिए मंत्री जी को इस संबंध में जिन अधिकारियों के बारे में पता चल जाए कि उनका व्यवहार संदेहास्पद है, भ्रष्टा.

चार से युक्त है उसके खिलाफ जांच के आदेश देने चाहियें । यदि आदेश नहीं दिये जाते हैं । तो सदेंह पैदा होता है । मैं एक बात और भी पूछना चाहूंगा कि डी०डी०ए० के द्वारा सामान्य स्तर के और उच्च स्तर के लिए आवासीय व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है लेकिन डी०डी०ए० की तरफ से फाइव स्टार होटल बनाया जाए मैं समैंझता हूं कि उसके पीछे नोचत क्या है । डी० डी० ए० अपने उद्देश्य से अलग हट गया है । जहां पांच लाख ऐसे घरों की आवश्यकता है वहां ध्यान न देकर फाइव स्टार होटल की तरफ ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री बूटा सिंह : कहां पर ?

श्री कलराज मिश्र : इन्द्रप्रस्थ में । यह कंस्ट्रक्शन डी० डी० ए० की तरफ से हो रहा है । मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वह किसी सरकार में बने हुए मंत्री के बेटे के सुपुर्द किया जाने वाला है । अगर सही है तो यह बहुत दुर्भाग्य-पूर्ण है ।

श्री लाडली मोहन निगम : तत्काल इसे बंद करिये ।

श्री कलराज मिश्र : इसे तुरन्त बंद करना चाहिये । जो अनधिकृत बस्तियां हैं; कलोनियां हैं उनको प्रियोरिटी के आधार पर छोटे छोटे स्थानों पर मकान बना कर देने चाहियें । ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये । एक सवाल और मैं कहना चाहता हूं कि कितने वर्गों के अन्दर कितने लोगों को आउट आफ टर्न अलाटमेंट की गई ? यानी जिनकी टर्न नहीं थी उनको मकान मिला नहीं और लेकिन उनके स्थान पर अपने प्रभाव का उपयोग करके दूसरों को दे दिया । 70–80 लोगों के करीब मेरी जानकारी में हैं जिनको आउट आफ टर्न मकान दिये गये ।

मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जहां नियोजत तौर पर दिल्ली के विकास की बात की जाती है वहां अभी हाल में एक सप्ताह दो सप्ताह पहले आर० के० पुरम में लगभग पांच हजार लोगों को अनिधकृत तौर पर ला कर बसाया गया । उनसे वहां पर झोंपड़ी डलवाई गई । उनसे पैसा भी लिया जा रहा है । कुछ लोग कहते हैं कि 100 रुपये दो, पांच सौ रुपये दो । धीरे धीरे उनके लिए स्थान तय करेंगे । मैं यह कहना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों को बसाने की दृष्टि से कहीं अन्यत्र व्यवस्था करिये और इसका राज-नीतिक दृष्टि से लाभ न उठाया जाए । अंत में चल कर यह न कहा जाए कि देखा हमने तुम्हारे लिये यह कर दिया । अगर इस तरह की बात चलेगी तो डी० डी० ए० के अंदर जो मूल भावना है वह नष्ट हो जायेगी ।

6P.M,

अब मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं । यहां पर भ्रष्टाचार की बात कही गई है । डी० डी०ए० में जो सीमेंट और बाकी सामग्री है उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है । मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि डी० डी० ए० में कई स्थानों में जो स्टोर्स हैं उनमें से सीमेंट गायब हुआ है । सीमेंट के ट्रक से ट्रक पकड़े गये हैं और जब उनको पुलिस ने पकड़ा और पूछा कि कहां जा रहे हो और कहां से आए तो कुछ पता नहीं चला । जो सामान पकड़ा गया उसकी कोई जानकारी डी० डी० ए० में भी नहीं है । इस प्रकार से हर प्रकार की दुर्दशा लोगों के सामने आ रही है । मैं ऐसा

[श्री कलराज मिश्र]

समझता हूं कि इसमें जबर्दस्त तौर पर अधिकारी, पोलिटिशियन, राजनीतिक और साथ-साथ और भी कुछ विशेष लोग, कुछ ठेकेदार मिलकर साजिश कर रहे हैं । डी० डी० ए० लूटने का एक अड्डा बन गया है । इसके संबंध में निश्चित रूप से जांच करने की दृष्टि से, मैं आपसे फिर दोहराना चाहता हूं कि आप एक हाई पावर कमेटी नियुक्त करें ।

श्री बूटा सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं तो डी० डी० ए० के ऊपर इस तरह से एक विशाल रूप में यहां पर बहस हो आज उसके लिए तैयार होकर नहीं आया था । आपके आदेश में ..... (**व्यवधान**) । आपके आदेश के मुताबिक मैं तैयार होकर आया था । आपके आदेश में लिखा है--

to the reported collapse of some residential flats newly built by the Delhi Development Authority in Vikaspuri and other areas in Delhi.

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहुत ही अपने अनमोल विचार मेरे लिए पेश किये ताकि डी० डी० ए० की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाय । मैंने उन सब को बहुत गम्भीरता के साथ नोट कर लिया है । उन मुद्दों पर शायद मैं कुछ न कहूं जो आपने उठाये हैं । मैंने उनको नोट किया है । मैं कोशिश करूंगा कि जहा तक हो सके जो आपने सुझाव दिये हैं उनसे फायदा उठाकर डी० डी० ए० के काम को अच्छा किया जाय । आपने जो भी प्रश्न उठाये हैं उनके बारे में जितना भी हो सकेगा, मैं सूचना दूंगा ।

धाबे जी ने, निगम जी ने और भारद्वाज जी ने हमारे पत्रकार भाइयों के लिए बड़ा जोरदार केस पेश किया है.. (**व्यवधान**) ।

श्री लाडली मोहन निगम : उनको उनका कोटा दे दिया जाय ।

श्री बूटा सिंह : उसके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि डी० डी० ए० ने पहले ही पत्रकारों के लिए उनकी कोआपरेटिव सोसायटी बना कर कोआपरेटिव सैक्टर में उनको मकान बनाने के लिए प्लाटस ईयरमार्क किये हैं । धाबे जी ने कहा कि हम लोगों ने ऐसे कुछ आदेश वापस लिये हैं । हमने कोई आदेश वापस नहीं लिये है ।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra) : Two per cent houses were earmarked for the journalists and their applications had been entertained. That order has been discontinued.

SHRI BUTA SINGH : I will look in to it.

आज की नीति के मुताबिक जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनको कोआपरेटिव सेक्टर में जमीन देकर अपनी कोआपरेटिव सोसायटी से वे अपने मकान बनायें इस प्रकार की सुविधा है ।

श्री लाडली मोहन निगम : पहले सन् 1976 में आप उनको दे चुके हैं । उसी तरह से कुछ कीजिये ।

श्री बूटा सिंह : मैं इसको देखूंगा । आपने लोक सभा और राज्य सभा के कर्मचारियों के लिए भी कहा मैं इसको भी देखूंगा ।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : What about sportsmen ?

श्री बूटा सिंह : स्पोर्टस्मैन के लिए आपका सुझाव अच्छा है । इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन की तरफ से एक पत्र भी इस संबंध में आया है । हम उस पर विचार कर रहे हैं । एशियाई खेल ग्राम जो बना है उसमें तो संभव नहीं है । परन्तु इस प्रकार से विचार किया जा रहा है कि हमारे स्पोर्ट्समैन और वोमन जिन्होंने देश के लिए बहुत नाम पैदा किया है उनके लिए कुछ किया जाय । हम विचार कर रहे हैं यह किस तरह से किया जाय ।

श्री लाडली मोहन निगम : उनके लिए जो मैदान बने हैं उनके आस-पास ही उनको मकान दिये जाये ।

श्री बूटा सिंह : सही बात है । इन प्रश्नों को लेकर जो क्लेरिफिकेशन माननीय सदस्य ने पूछे है उनमें उन्होंने कहा कि सिर्फ स्थानान्तरण किये गये हैं। मैं यह कहना चाहूगा कि स्थानान्तरण तो पहला कदम है क्योंकि वह कर्मचारी या अधिकारी अगर वही पर रहता है तो वह इन्क्वायरी में बाधा बनता है । इसलिए स्थानान्तरण किया जाता है । उसको उस जगह से हटा दिया जाता है ताकि इन्क्वायरी निष्पक्ष हो और उसमें कोई निषेध न हो । उसके बाद डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होगी । जो सजा या पैनिलटी रिकमेन्ड की जाएगी वह बाद में दी जाएगी । अभी खाली यह नहीं किया गया है कि स्थानान्तरण दिया गया है । ऐसे मौकों पर मौके पर ससपेन्ड भी कर दिया गया । उसके बाद इन्क्वायरी की जा रही है । ज्यादातर जनरल डिसक्शन रहा । आपने डी०डी०ए० के गोदामों के बारे में सीमेंट और दूसरे मैटीरियल्स के बारे में कहा । वाइस-चैयरमैन ने रीसेन्टली उनका इन्सपैक्शन करके बहुत से ऐसे कदम उठा लिए हैं। जिसमें यह देखा जाता है, न सिर्फ सीमेंट की क्वालिटी बल्कि सीमेंट की क्वान्टिटी के ऊपर भी कन्ट्रोल किया जाय । क्योंकि ऐसी सूचना भी मिली है कि क्वान्टिटी कम होती है, चोरी हो जाती है । इस तरह के सारे कदम वहां उठाये जा रहे हैं ताकि क्वालिटी ठीक रहे और क्वान्टिटी भी ठीक रहे चोरी न हो सके ।

आपने जो दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी की तरफ से और लेफ्टिनैन्ट गवर्नर दिल्ली की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है उसका जिक्र किया था । भारद्वाज साहब ने खास करके इसका जिक्र किया । मैं यह कहना चाहूंगा कि वह कमेटी बाकायदा अपना काम शुरू कर चुकी है । राव साहब जो डी०जी० (वर्क्स) थे, मिनिस्ट्री में, वे एक अन्तर्राष्ट्रीय असाईन्मैन्ट पर बाहर चले गये हैं और उनकी जगह पर श्री वैश्य जो पहले डी०जी० (वर्क्स) थे, वे इस कमेटी में लिये गये हैं । इसमें एक सुप्रसिद्ध इंजीनियरी विश्वेश्वरैया हैं जिनका नामीनेशन किया गया है जो इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग आफ इंडिया से हैं । इस तरह के बड़े बड़े विशेषज्ञ इससे संबंधित हैं जो कि बड़े उच्च स्तर के हैं और व इसमें जांच कर रहे हैं । इस कमेटी की रिपोर्ट जो होगी वह डी० डी० ए० के पास जायेंगी, मगर मंत्रालय भी उस रिपोर्ट पर पूरी तरह से विचार करके काम करेगा ।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE : My question was about paragraph 6—about the recommendations of the Task Force.

SHRI BUTA SINGH : The Expert Committee's report has been received, I am told, only today by the D.D.A. So let them examine these reports and then they will be sent to us. We will definitely

[Shri Buta Singh]

take action on whatever suggestions or recommendations are given by the experts

श्री लाडली मोहन निगम : मंत्री जी, आपसे मैंने अर्ज किया था कि आपका जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके और सेन्ट्रल पब्लिक डिपार्टमेन्ट के इंजीनियर्स की कमेटी बनाइये जो उनका इंसपैक्शन करके क्लैयरेंस दें सर्टिफिकेट दे । वह उसको देखे, पास करे और सर्टिफिकेट दे कि यह मकान रहने के काबिल है ।

श्री बूटा सिंह : मैंने जैसा अर्ज किया, मैंने सभी सदस्यों के सुझाव नोट कर लिये हैं । इस तरह से एक नई चर्चा शुरू हो जायेगी । पहले जैसे बहुत से सदस्यों ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, एक ऐसा फोरम बने यह मैं नहीं चाहता हूं । आपने जो सजेशंस दिये है, मैं समझता हूं कि डी डी ए और मंत्रालय की ओर से हम हर प्रकार से उन पर विचार करने की कोशिश करेंगे । जैसा कि भारद्वाज जी ने फलोरेंस नाइटेगल का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हास्पिटल न बनायें जायें जिनसे मर्ज बढ़े । सिर्फ लिविंग कालोनी ही न बनें बल्कि लिवेबल कालोनी बनें जिनमें हम रह भी सकें । मैं इससे ज्यादा, इससे अधिक इस बारे मैं नहीं कह सकता हूं । क्योंकि जो सुझाव दिये हैं, कालिंग अटेन्शन का विषय थोड़ा था, लेकिन बहुत बड़े रूप में सुझाव दिय गये हैं और बहुत से अच्छे सुझाव हैं और उनको ध्यान मे रखकर हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से डी डी ए की कार्यक्षमता को ज्यादा बढ़ाया जाय ।

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SHRIMATI NAJMA HEPTULLA): Before we adjourn the House, I have an announcement to make.

I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 23rd February, 1983, allotted time for Government and other Business as follows :

Business	Time Allotted
1. Discussion on the President's Address.	2 days i.e. on 24th and 28th February, 1983, in addition to the time already taken. The Prime Minister will reply on 1st March, 1983, after Question Hour.
2. General Discussion on the Budget (Railways) for 1983-84.	3 days.

The Committee also allotted 2 hours 30 minutes for Private Member's Resolution that may be moved on Friday, the 25th Feburary, 1983, and recommended that it should be concluded on that very day.

The Committee further recommended that the House should sit up to 6-00 p.m. daily and beyond 6.00 p.m. as and when necessary, for the transaction of Government Business.

The House now stands adjourned to 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at ten minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 24th February, 1983.

GMGIPND—M 1879—RS—3-6-83—570.